स्कॉलरशिप फार्म में कमी हो तो छात्र को एसएमएस करें : सिंह

एजुकेशन रिपोर्टर | जयपुर

राज्यपाल कल्याण सिंह ने छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) के लिए आवेदन से लेकर बैंक खातों में हस्तांतरण तक की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को चिन्हित कर उन्हें सरल करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव दिए है। इसमें छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों में पाई जाने वाली कमियों एवं उन्हें पूरा कराने की सूचना कार्यालय स्तर पर चस्पा किए जाने के बजाय विद्यार्थी को मोबाइल पर एसएमएस अथवा ई-मेल भेजने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव है।

राज्यपाल ने पांच जिलों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के निस्तारण में समयबद्धता और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए ये सुझाव दिए है। उन्होंने छात्रवृत्ति के संबंध में गत दिनों विभिन्न माध्यमों से सूचना और खामी को गंभीरता से लिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (1) एवं अनुसूची के अन्तर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही जिलों में राज्यपाल के विशेष दायित्व निर्धारित है।

राज्यपाल चाहते है ऐसा हो : राज्यपाल का मानना है कि आवेदन करने से लेकर विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि के हस्तांतरण तक के लिए निर्धारित प्रत्येक चरण को सरलीकृत किया जाना चाहिए और इस कार्य में आ रहे अवरोधों को दूर करने के लिए नियमित अनुश्रवण किया जाना चाहिए।